

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी 2016—माघ 28, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2016

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-16—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010, दिनांक 10 अप्रैल 2013 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सेवा क्रमांक 16.1 को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है :-

डी-नोटिफाई

उक्त अधिनियम के अधिसूचित सेवा को—

- (1) सेवा क्रमांक 16.1 गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र) को विलोपित (डी-नोटिफाई) किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.